

Bombay HC sends NGO chief to Navi Mumbai to verify feeding spots for stray dogs

TNN | Feb 22, 2023, 10:56 PM IST



MUMBAI: The Bombay high court on Wednesday said a mutually workable solution on feeding spots was the need of the hour for the dispute between Seawoods Estate Limited (SEL) in Navi Mumbai and its residents who feed stray dogs and asked Abodh Aras chief executive officer of the NGO Welfare of Stray Dogs to visit and verify viable sites.

The HC bench of Justices Gautam Patel and Neela Gokhale also said financial implications were to be borne by the dog feeders who had no rights to insist on feeding dogs within the complex and having SEL pay for it. The feeders cannot insist on SEL to allocate funds for feeding, which would be the responsibility of the

feeders themselves, said the HC.

The CIDCO said SEL had proposed three feeding sites outside their premises. The HC said one spot was too close to a service road and may be avoided, one is close to a school hence unacceptable and it may be workable if a two acre plot given to SEL on caretaker basis as green zone can be used to set up the stray feeding area.

Advocate Abha Singh for dog bite victims and SEL vice chairperson said that SEL was ready to get a few dogs

adopted by shelter homes. Advocate Siddh Vidya for feeders said adoption must follow guidelines involving feeders too.

Singh said Navi Mumbai Municipal Corporation had already issued tenders calling for construction of fencing around tree line areas to protect them and hence, the feeding spots created by SEL fell within these tree lines and were absolutely usable.

'लव जिहाद' के मामले बढ़े!



देशभर में पांच वर्षों में ४०० मामले दर्ज

- सिर्फ यूपी और एमपी में सर्वाधिक १३५ मामले
- राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून की उठी मांग

देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में 'लव जिहाद' के ४०० मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में १०५ मामले और मध्य प्रदेश में ३० मामले दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार मोदी राज में 'लव जिहाद' के बढ़ते मामलों को देखते हुए इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की जाने लगी है।

हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट में बताया है कि २०१८ से २०२२ तक पांच वर्षों में लव जिहाद के करीब ४०० मामले दर्ज किए गए। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक १०५ मामले, उसके बाद मध्य प्रदेश में ३० मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर केरल में १३, हरियाणा में १३, दिल्ली में १२, महाराष्ट्र में ९ और बिहार में ४ मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले पुलिस स्टेशनों तक पहुंचे हैं लेकिन इससे कहीं अधिक मामले ऐसे भी होंगे, जो धानों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए यह मामला गंभीर बताया जा रहा है।

अधिकतर मामलों में दर्ज नहीं हुई शिकायत

दरअसल, जारी किए गए आंकड़ों से हड़कंप मचा हुआ है। जो संख्या जारी की गई है, उन्हें पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं, जो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुए। ऐसे कई मामले हैं, जिनमें 'लव जिहाद' में फंसी हिंदू युवतियां, किशोरियां एवं महिलाएं बहकाकर

भारतीय के साथ उग्रता भाग बनाने लगी है। उग्रता बनाकर उसे धमका जाता है और आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता विरोध नहीं कर पाते हैं। कई बार पीड़ित परिवार बदनामी और बवाल से बचने के लिए हार मान लेता है और 'लव जिहाद' का शिकार बनी बेटियों को परिजन उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण कई मामले सामने नहीं आते हैं।

धर्मांतरण कानून बनाने की मांग

इतने बड़े पैमाने पर 'लव जिहाद' के मामले मोदी सरकार में दर्ज हुए हैं इनमें से अधिकतर मामले भाजपा शासित राज्य में हैं, ऐसे में अब 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।

कुछ संस्थाएं दे रहीं 'लव जिहाद' को बढ़ावा

मुंबई हाई कोर्ट की एड. सिद्ध विद्या ने बताया कि 'लव जिहाद' के अधिकतर मामलों में लड़कियों द्वारा माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध घर से भागने के बाद परिजन दोबारा उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण कुछ संस्थाएं खुद को इनका हमदर्द बताते हुए लड़ाई लड़ने की बात करती हैं और इन मामलों को पुलिस स्टेशन तक ले जाने की बजाय अपने कार्यालय तक ही रखती हैं और मामला वहीं दब जाता है।